

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 105 / 2018

दर्ज दिनांक:-12.10.2018

1. बीना

पता-

.....प्रार्थी

2. संदीप

बनाम
पता-

.....अप्रार्थीगण

प्रमोद कुमार

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 30.11.2018

आज यह पत्रावली वादिया के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। वादिया ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दावा में कुछ तथ्य सहवन से लिखने में रह गए हैं जो कि प्रकरण में आवश्यक है। वादिया अपने अपने वाद पत्र को वापिस लेकर नया वाद पत्र पेश करना चाहती है। अतः वाद पत्र नवीन रूप से पेश करने की अनुमति दी जाकर दावा खारिज किया जावे।

हमने वादिया के वकील को सुना। वादिया अपने दावा को खारिज कराना चाहती है। वकील वादी द्वारा दावा को नोट प्रेस किया है। अतः दावा वादिया नोट प्रेस किये जाने पर खारिज किया जाता है। वादिया नवीन दावा लाने को स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हौ।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर